न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर) राज0

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)।

दावा नंबर – 76/15

तारीख निर्णय– 18.10.2018

1. बृम्हदेव पुत्र रामजीलाल (मृत)
   1/1 राजेश
   1/2 मुकेशचंद पुत्रान स्व0 बृम्हदेव
   1/3 मिथलेश
   1/4 कमलेश
   1/5 पिंकी पुत्रीयान स्व0 बृम्हदेव
2. रघुवरदयाल पुत्र रामजीलाल
3. मनीष
4. नवीन पिस0 प्यारेलाल
5. सतीश शर्मा पुत्र सूरजमल

सभी जातियान ब्राम्हण निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई ।

वादी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तह0 नदबई

प्रतिवादी

निर्णय

वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0का0 अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 949 रकबा 0.14 है0,950 रकबा 0.14 है0 951 रकबा 0.14 है0 952 रकबा 0.14 है0 वाके कस्बा नदबई प्रथम तह0 नदबई स्थित है यह आराजी वादीगण की व हिस्सा बराबर की गैर खातेदारी की पैत्रिक व विरासतन आराजी है । जिस पर वादीगण काफी समय से काश्त करते चले आ रहे हैं । संवत 2060 से पूर्व साविक नंबर 719 रकबा 2 बीघा 4 विश्वा था । इससे पूर्व यह आराजी वादीगण के स्वर्गीय पिता रामजीलाल की गैर खातेदारी में दर्ज थी । जिसका बन्दोवस्त संवत 2028 से पूर्व खसरा नंबर 560 रकबा 3 बीघा 14 विश्वा था । उक्त आराजी वादीगण के स्वर्गीय पिता रामजीलाल को आबंटन हुआ था तथा वक्त आबंटन से ह ीवह काविज होकर काश्त कर रहे थे तथा उसके वाद हम वादीगण व हिस्सा बराबर काविज होकर काश्त कर रहे हैं । वादीगण एक लम्बे अन्तराल से विवादित आराजी पर काविज है तथा काश्त कर रहे है । वर्तमान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजसव रिकार्ड में गैर खातेदार होने से वे किसी प्राकर अनुतोष उक्त आराजी पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । दिनांक 15.7.15 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर यह ज्ञात हुआ कि वे इस आराजी पर पर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं । रिकार्ड में वादीगण ने नकल जमबंदी सं0 2070–73, मिलान क्षेत्र्ल सं0 2060, नकल जमाबंदी सं0 2028 भू प्रबंध, नकल जमाबंदी सं0 2019–22, नकल जमबंदी सं 2014–17, नकल जमबंदी सं0 2051–54, नकल जमबंदी सं0 2043–46, खसरा गिरदावरी स0 2052 से 2058 व संवत 2022 से लगातार पेश की है ।

पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया है जिसमें वादीगण को काविज होकर काश्त करना जाहिर किया है । तथा जबाब के आधारा पर निम्न तनकीयात कायम की गई जिनका तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है –

1. आया वादीगण विवादित आराजी के गैरखातेदारी के इन्द्राज कलमजन कराकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है ।

   उक्त तनकी को सावित कराने का भार वादीगण पर था । वादीगण ने रिकार्ड में संवत संवत 2014 से लगातार खसरा की नकले व संवत 2028 से पूर्व से ही जमाबंदी की नकले पेश की है जिसमें पूर्व में वादीगण के पूर्वज रामजीलाल काविज रहे है तथा उसके पश्चात वादीगण आज भी एक खातेदार की हैसियत से काविज हैं । पैरोकार सरकार ने अपने जबाब में वादीगण को विवादित आराजी पर काविज होना जाहिर किया है तथा आराजी को आबंटन के लिए उसने आने जबाब में कोई टिप्पणी नहीं की है । अतः सावित हो जाता है कि वादीगण काविज है तथा लंबे अंतराल से विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है । मिलान क्षेत्रफल सं0 2028 का उपलब्ध न होने से खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत की गई है। तथा संवत 2060 के मिलान क्षेत्रफल से हाल के नंबर व प्रतिष्टियां मेल खा रही है। अतः उक्त तनकी व हक वादीगण निर्णित की जाती है ।

2. आया वादी आबंटन बताता है अतः आबंटन का रिकार्ड प्रस्तुत करें ।

   उक्त तनकी को सावित कराने का भार वादी पर था । पैरोकार सरकार ने अपने जबाब दावा में अंकन किया है कि वादीगण के पूर्वज संवत 2014 से काश्त

   करते आ रहे है जो खसरा गिरदावरी से परिपुष्ट है तथा आबंटन के परिपुष्ट होने से कोई राज्य हित प्रभावित नहीं होता है । इस प्रकार पैरोकार सरकार ने उक्त दावा को अधिकतम स्वीकार किया है रिकार्ड पैरोकार सरकार के पास भी नहीं बताया है। अतः उक्त तनकी व हक वादी निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त तनकीयों की रोशनी में दावा वादीगण इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 949 रकबा 0.14 है0,950 रकबा 0.14 है0 951 रकबा 0.14 है0 952 रकबा 0.14 है0 वाके कस्बा नदबई प्रथम तह0 नदबई पर वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2018 को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील/तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official